

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- |                                       |
|---------------------------------------|
| 1. अपील संख्या – 1784 / 2012 / जयपुर. |
| 2. अपील संख्या – 1785 / 2012 / जयपुर. |
| 3. अपील संख्या – 1786 / 2012 / जयपुर. |
| 4. अपील संख्या – 1787 / 2012 / जयपुर. |

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, वृत्-तृतीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ग्रेंजर इण्डस्ट्रियल सप्लाई इण्डिया प्रा० लिमिटेड,

सी-स्कीम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

### खण्डपीठ

श्री नथूराम, सदस्य  
श्री के. एल. जैन, सदस्य

### उपस्थित ::

श्री सीतांशु शर्मा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 08 / 2018

### निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त चार अपीलें उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 249, 250, 251 व 252 / अपील्स-।।/आरबीएटी/जयपुर/बी/2011-12/क.नि.व. 07-08 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 16.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 25, 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।
2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
4. उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान Groundfos UPA home booster, groundfos domestic water pressure booster pumps, grounds CH twin booster, single shower

लगातार.....2

pressure booster pump पर वेट अधिनियम की कर अनुसूची—चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिये गये वस्तु विवरण के अनुसार "Centrifugal & mono-block & submersible pump sets for water handling & parts thereof." मानते हुए 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया था, जिनके कर निर्धारण समय—समय पर नियमित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित किये गये थे, परन्तु दिनांक 14.6.2010 को प्रतिकरापवंचन वृत्त द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया जाकर यह मत व्यक्त किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किया गया माल प्रविष्टि संख्या 28 में सम्मिलित योग्य नहीं है। प्रविष्टि संख्या 28 निम्न प्रकार है :—

"Centrifugal & mono-block & submersible pump sets for water handling & parts thereof."

5. कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि उक्त प्रविष्टि संख्या 28 में Centrifugal & mono-block & submersible pump sets अंकित किया हुआ है, जिनका मुख्य कार्य जमीन के अन्दर से पानी को खींचकर ऊपर की ओर भेजने का है, जबकि कम्पनी द्वारा विक्रय किये जाने वाले प्रश्नगत उत्पाद का मुख्य कार्य छत पर बने हुए टैंक/टंकी से प्रेशर के साथ नीचे की ओर बाथरूम इत्यादि में भेजने का है, इसलिए इन पम्प में Pressure guage, Pressure switch तथा Isolating valves आदि लगे हुए होते हैं एवं इनका उपयोग मुख्य रूप से होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉटेज, विलाज, लार्ज हाउस, इण्डस्ट्रियल प्लांट आदि में किया जाता है, अतः इस प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त वर्णित विक्रीत माल को Centrifugal & mono-block & submersible pump को पम्प सेट की श्रेणी में नहीं मानते हुए इसे इस प्रविष्टि का लाभ नहीं देते हुए कर अनुसूची—पंचम के तहत सामान्य कर दर 12.5/14 प्रतिशत से करारोपण किया गया एवं इस कम कर दर से कर अदा करने को करापवंचन का कृत्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत अन्तर कर राशि की दुगुनी राशि की सीमा तक शास्ति का भी आरोपण किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष प्रदान किया कि किसी भी वस्तु की कर दर निर्धारण हेतु कर प्रविष्टि में प्रयुक्त शब्दावली महत्वपूर्ण होती है एवं उसके अनुसार ही कर दर प्रभावी हो सकती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि उक्त प्रविष्टि संख्या 28 में तीन तरह के पम्प का उपयोग For water handling लिखा हुआ है, जिससे जो स्वयं एक विस्तृत अभिप्राय से सम्बन्धित शब्द है जिसमें Water handling के लिये किस पम्प को

Qm

लगातार.....3

कार्य में लिया जाता है, जिसमें पानी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे संचलित करने में काम में लिया जा सकता है एवं इसी तरह पानी को ऊपर नीचे के अलावा क्षितिज या लम्बवत् रूप से भेजना भी सम्मिलित होता है।

6. कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अध्ययन पर यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये water pump को केवल इस आधार पर प्रविष्टि संख्या 28 में सम्मिलित योग्य नहीं माना है क्योंकि प्रत्यर्थी के उत्पाद मुख्य रूप से पानी को प्रेशर के साथ में मुख्य रूप से ऊपर की मंजिल से नीचे की तरफ संचलित करने हेतु प्रयुक्त किये जाते हैं, परन्तु यह अवधारणा करना उचित प्रतीत नहीं होता है कि यह पम्प प्रविष्टि संख्या 28 में सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि इस प्रविष्टि में सभी तरह के Centrifugal & mono-block & submersible pump sets को इस प्रविष्टि में स्थान दिया गया है जो Water handling हेतु काम में लिये जाते हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया जाना उचित है कि विधायिक द्वारा जो शब्द किसी प्रविष्टि में काम में लिये जाते हैं, उनसे अन्यथा अभिप्राय लिया जाना उचित नहीं है क्योंकि इस प्रविष्टि का मुख्य अभिप्राय वे तीनों तरह के पम्प हैं जो Water handling के लिये प्रयुक्त होते हैं। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उत्पादित एवं बिक्रीत माल Mono-block & Centrifugal Pump, Water handling के काम में लिये जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें केवल इस आधार पर प्रविष्टि से पृथक नहीं किया जा सकता कि वे पम्प प्रेशर देने की तकनीक के साथ कार्य में लिये जाते हैं एवं उनका उपयोग अधिकतर घरों या होटलों में किया जाता है जबकि इस प्रविष्टि में किसी स्थान विशेष पर उपयोग के अनुसार कर दर को अंकित नहीं किया गया है बल्कि बिना किसी अपवाद के साथ सभी तरह के Centrifugal & mono-block को जो Water handling के काम में लिये जाते हैं, इस प्रविष्टि में रखा गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा Pressure Booster एवं Pressure Boosting System की विवेचना करते हुए यह भी उचित वर्णित किया है कि इस तकनीकी से एक समान प्रेशर के साथ पानी को संचलित किया जाता है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की मंजिल तक पानी को संचलित करने के लिये उपयोग में लिया जाता है परन्तु मूल रूप से वे Water Pump Set के रूप में ही कार्य में आते हैं। अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय भी उचित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ली गई यह अवधारणा कि केवल जमीन या जमीन के अन्दर से पानी को ऊपर की ओर भेजने वाले पम्प ही इस प्रविष्टि में सम्मिलित योग्य हैं, जबकि इस प्रविष्टि में ऐसा कोई विशिष्ट उपयोग उल्लेखित नहीं

Qm-

लगातार.....4

किया गया है क्योंकि पम्प का कार्य केवलमात्र पानी के प्रेशर को बढ़ाना है एवं यह प्रेशर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों तरफ से आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जा सकता है। इसी तरह इन पम्प के सभी पार्ट्स को भी इस प्रविष्टि में सम्मिलित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि Pump & Centrifugal Pump की परिभाषायें Oxford Dictionary के अनुसार निम्न प्रकार है :—

**Pump** : a mechanical device using suction or pressure to raise or move liquids, compress gases, or force air into inflatable objects such as tyres.

**Centrifugal Pump** : a pump that uses an impeller to move water or other fluids.

7. इसी तरह से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये तर्कों को भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अंकित करते हुए Centrifugal Pump की निम्न व्याख्या को आदेश में अंकित किया गया है :—

The centrifugal or roto-dynamic pump produce a head and a flow by increasing the velocity of the liquid through the machine with the help of a rotating vane impeller. Centrifugal pumps include radial, axial and mixed flow units.

Centrifugal Pumps can further be classified as -

- end suction pumps
- in-line pumps
- double suction pumps
- vertical multistage pumps
- horizontal multistage pumps
- submersible pumps
- self-priming pumps
- axial-flow pumps
- regenerative pumps

8. उक्त विवेचन से अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष विधिसम्मत हैं। Pressure Booster System भी पम्प का ही एक प्रकार है, जो कि पानी के कम दबाव होने की स्थिति में प्रयुक्त होता है तथा इस तकनीक में Multistage centrifugal pump set से पानी की समान दबाव से आपूर्ति की जाती है।

9. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन पर पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह तर्क भी दिया गया था कि उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले प्रश्नगत उत्पाद अन्य कम्पनी एवं अन्य बड़े व्यापारियों द्वारा जयपुर व राजस्थान के अन्य शहरों में विक्रय किये जाते हैं, जिस पर 4 प्रतिशत

१८८

लगातार.....5

से कर अदा किया जा रहा है परन्तु इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य में अन्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा भी इन वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की कर दर को स्वीकार किया गया है एवं इन प्रकरणों में पारित कर निर्धारण पूर्व पारित कर निर्धारण आदेशों को रिओपन करते हुए किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी निरन्तर रूप से इन उत्पादों को प्रविष्टि संख्या 28 के तहत ही सम्मिलित होना माना गया है, फलतः केवलमात्र मत भिन्नता के आधार पर आरोपित किया गया अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 16.05.2012 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन)  
सदस्य

  
( नैथूरम् )  
सदस्य